परियोजना का नाम :– ग्राम–थानों (नौगांव चक), थानों रेंज, जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

क्र0 सं0	विवरण	
1.	परियोजना का विवरण	उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान।
	(क).अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
	(ख).1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	(ग). परियोजना की लागत।	लगभग रू0 13.17 करोड़।
	(घ). वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य विकल्प न होने के कारण।
	(ड.). लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
	(च). रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	परियोजना पूर्ण रूप से जनहित में है।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	कुल भूमि 05 हैक्टेयर है, जिसका प्रयोग उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु किया जाना है, जो कि जनहित में व होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के हित में अतिआवश्यक है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।
	(क). परिवारों की संख्या	शून्य।
	(ख). अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य।
	(ग). पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संस्थान के लिये 05 है0 भूमि में से मात्र 02 है0 भूमि पर ही निर्माण किया जाना है, जिसके निर्माण में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	प्रस्ताव पर दी गयी विशेष सूची के अनुसार।
7.	परियोजना का विवरण	जनपद देहरादून के अन्तर्गत थानों रेंज, ग्राम–थानों (नौगांव चक), उत्तराखण्ड आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र कुल भूमि 05 है0 है, जिसका प्रयोग उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 4.12.2013

स्थान देहरादून

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम (एस. एल. शाह)
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल
होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा
निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

मोहर

प्रस्ताव की कम संख्या..
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) **प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या–**

7.	परियोजना स्कीम का स्थान।	जनपद देहरादून के अन्तर्गत थानों रेंज ग्राम–थानों (नौंगांव चक) में उत्तराखण्ड, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संस्थान की स्थापना।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र।	उत्तराखण्ड राज्य।
(ii)	जिला।	देहरादून।
(iii)	वन प्रभाग।	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0) में।	5.00 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति।	संरक्षित वन
(vi)	हरियाली का घनत्व।	0.1 से कम
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर की संलग्न की जाय।	संलग्न है।
(vii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित वन भूमि थानों रेंज के अन्तर्गत अवस्थित है।
(x)	क्या क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधित की जाय)।	प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अनापत्ति पत्रांक–1689/12–1, दिनांक–04.12.2013 प्रस्ताव में संलग्न है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	जिलाधिकारी, देहरादून एवं प्रस्तावक द्वारा दिया गया अपरिहार्य एवं न्यूनतम भूमि का विवरण एवं जिलाधिकारी, देहरादून का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उत्तरांचल सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्र0 व0, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी के अधीन कालसी द्वितीय रेंज के अन्तर्गत ग्राम–सुराड़ी सियाडी खड्ड क्षेत्र–10.00 है0 सिविल भूमि का प्राक्कलन संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैंप।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित बिन्दुओं को दर्शाते हुये मानचित्र प्राक्कलन के साथ संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	मानचित्र संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	17,33,650.00 (सतरह लाख तैतीस हजार छः सौ पचास रू मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम–7 (xi, (xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	अधीनस्थ वनाधिकारी, फील्ड स्टाफ तथा याचक विभाग के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रतिहस्ताक्षर कर प्रस्ताव पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइलः–	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
(i)	1– जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088.00 वर्ग कि0मी0
(ii)	2– जिले का वन क्षेत्र	2116.91 वर्ग कि0मी0
(iii)	3– मामलों की सं0 सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	22 मामले, 868.838 है0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरणे	1471.750 है0
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	–
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।	–
	क– वन भूमि पर।	176.00 है0
	ख– वनेत्तर भूमि पर।	–
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	राज्यहित में परियोजना स्वीकृति की प्रबल संस्तुति की जाती है।

दिनांक–02/02/2014.

स्थान–देहरादून।

उप वन संरक्षक
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

उप वन संरक्षक,
देहरादून वन प्रभाग,देहरादून।